


२५-०६-१९

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वादी /प्रार्थी भी अनुपस्थित। प्रकरण में वकील वादी/प्रार्थी को विधिवतरूप से रूक रूक कर तीन बार आवाजे लगवाई गई, लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी/प्रार्थी पूर्व में भी अनुपस्थित रहा। वकील वादी व वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतः पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावे। पत्रावली दफतर दाखिल की जावे।


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ